

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।

पत्रांक:-/352 दे०क्षे०/ पे०पा०अ० दे०क्षे०/2021

दिनांक:-15/02/2021

सेवा में

जिलाधिकारी
जनपद गोण्डा।

विषय:-बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-30) के किमी०-57, चैनेज-56.400-600 पर सड़क के मध्य भाग से दांयी ओर मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्र संख्या-17/जे०ए०(अना०प्र०प०)/20 दिनांक-11.06.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो०नि०वि०, गोण्डा को उनके पत्रांक-372/114-काम-गो०वृ०/2020 दिनांक 02.02.2021 बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-30) के किमी०-57, चैनेज-56.400-600 पर सड़क के मध्य भाग से दांयी ओर मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या/सस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-30) के किमी०-57, चैनेज-56.400-600 पर सड़क के मध्य भाग से दांयी ओर स्थित ग्राम मुण्डेरवा कला, परगना, तहसील व जनपद गोण्डा में स्थित भूमि गाटा संख्या-58 के आंशिक भाग पर मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से दांयी ओर 22.86मीटर(75फीट) की दूरी अथवा लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि जो भी अधिक हो तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 से०मी० नीचा करना होगा जिसमें मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 2 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए।
4. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.60 मीटर आर०सी०सी० पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग से ढका जाय ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
5. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन०पी०-3 हयूम पाइप/आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
6. Deceleration & Acceleration lanes का निर्माण पेट्रोल/डीजल पम्प स्वामी स्वयं की भूमि पर करेगा।
7. भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी लो०नि०वि० पर नहीं होगी। भू-स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भू-स्वामित्व होने संलग्न किराये नामें की दशा में ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा। अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
8. IN & EXIT हेतु साईन बोर्ड इस प्रकार लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दें।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू०पी०रोड सा०ले०क०एक्ट-1945 के अन्तर्गत निहित शर्तों का भी पालन करना होगा।
10. मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि० गोण्डा द्वारा ब्लू प्रिन्ट/मानचित्र पर अंकित किये गये प्रतिबन्धों को भी पालन करना अनिवार्य होगा।
11. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो पम्प मालिक द्वारा लो०नि०वि० को भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण करना होगा।

12. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एब साईन बोर्ड लगाना अनुमत्य नहीं होगा।
13. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
14. यह एन0ओ0सी0 प्राविजनल है अन्तिम एन0ओ0सी0 ऑयल कम्पनी द्वारा अनुमोदित ड्राइंग एवं सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर 6 माह के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन करने पर 30 दिन के अन्दर प्रदान की जा सकेगी। एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी। उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी।
15. मानचित्र पर अंकित कतिपय प्रतिबन्धों एवं उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं एम0ओ0एस0टी0 के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0/33023/19/99-डी0ओ0-III दिनांक 24.07.2013 तथा "The Uttar Pradesh Guidelines for Issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा विभाग के विरुद्ध कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता।
16. प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-17974एम0टी0/सामान्य वर्ग/60 एम0टी0/1999 दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से प्राप्त शासनादेश सं0 1882/23-12-19-1365/17टीसी दिनांक 04 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रख्यापित गाईड लाईस "The Uttar Pradesh Guidelines for Issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित प्रतिबन्धों अनुसार 10 साल के पश्चात पुनः निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (रूपया दस हजार मात्र) जमा करने एवं शर्तों का अनुपालन करने पर लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री शिवराज पुत्र श्री राम अचल, निवासी-ग्राम बिरवा, पोस्ट खैरम ललौवा चक, परगना, तहसील व जिला-गोण्डा पर बाध्यकारी होगा।
17. विभागीय भूमि में अस्थाई/स्थायी किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जायेगा एवं उक्त निर्माण कार्य खुला/कृषि क्षेत्र में होना है।
18. नियमानुसार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गोण्डा द्वारा लाइसेन्स एवं प्रोसेसिंग फीस का बैंक ड्राफ्ट खण्ड में जमा करा लिया गया है।
19. "The Uttar Pradesh Guidelines for Issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" के ऐपेन्डिक्स-III में वर्णित लाइसेन्स डीड रू0 100/- (आयल कम्पनी/पेट्रोल पम्प मालिक एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित) क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर ली गयी है।

संलग्नक:- मानचित्र मूल में।

अरविन्द कुमार (जैन)
मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक-3721/114-काम-गो0वृ0/2021 दिनांक 02.02.2021 के सन्दर्भ में।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गोण्डा।

मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

Sanjay Kumar
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

1. ACCESS ROADS SHALL HAVE MIN PAVEMENT COMPOSITION OF 150MM GSB, 250MM WMM 50MM DBM AND 30MM BC.
2. ALL PAVEMENT MARKINGS SHOULD BE AS PER LATEST IRC 35.
3. ALL TRAFFIC SIGNS SHOULD BE AS PER LATEST IRC-67 AND LATEST IRC-SP-55 IN CASE OF A FUEL STATION LOCATED ON THE OTHER SIDE OF TRAVEL DIRECTION THE USER SHOULD BE INFORMED OF THE LOCATION OF THE FUEL STATION IN HIGHER DIRECTION OF TRAVEL THROUGH INFORMATION SIGNS AS SHOWN IN THE TABLE OF THIS DRAWING.
4. THE LENGTH OF SEPARATOR ISLAND SHOULD BE DETERMINED AS PER SITE CONDITION, IT IS NOT LESS THAN 30M AND 30M.
5. THE SEPARATOR ISLAND SHALL BE 3M.
6. THE SEPARATOR ISLAND AND BUFFER STRIP SHALL BE TURFED WITH PROVISION OF 75MM HIGH KERBS.
7. SLAB CULVERTS WITH GRATINGS TO BE PROVIDED IN THE LINE STORM WATER DRAIN ON ENTRY AND EXIT APPROACHES TO CATER TO THE EXPECTED DISCHARGE.
8. ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
9. *AD LINES PROVISION IS SHOWN IN DRAWING SUBJECT TO PWD VERIFICATION*.

1. NO OTHER STRUCTURE ERECTED NOR ANY OTHER SERVICE RENDERED EXCEPT THAT CONNECTED WITH PETROL PUMP WITH PRIOR APPROVAL OF P.W.D.
2. THE BERM PORTION IS NOT INCLUDED IN THE AREA TO LEASE FROM P.W.D.FOR APPROACH ROAD BUT TO BE METALLED BY THE COMPANY.
3. SUCTION PIPE UNDER DRIVE WAY TO BE HOUSE IN PIPE ALLEAVE FILLED WITH SAND.
4. BOTH THE TANK ARE NOT TO BE REPLISHED AT THE SAME TIME.
5. 37MM AIR VENT PIPE 4.0M HIGH FROM G.L. ON ITS ENDS TWO LAYERS OF NON-CONDUCTIVE CEMENT PLASTER WITH 12.5MM RADIUS CM IS TO BE PROVIDED.
6. ALL ELECTRICAL FITTINGS CONFORM TO IS: 2148/63 FOR DISPENSING TANKS.
7. TANKS TO BE FED BY TANK Lorry ONLY.
8. D.P.S.BOARD 1.5M FROM G.L. NOT TO BE KEPT UNDER LOCK & KEY.
9. NO SMOKING SIGN IS TO BE DISPLAYED PROMINENTLY.
10. ALL STRUCTURE ON GOVT/LAND SHALL BE TEMPORARY.

2. ALL DIMENSIONS ARE IN METRE UNLESS STATED OTHER WISE.
3. 4 NOS FIRE-EXTINGUISHERS DRY-CHEMICAL TYPE ARE PROVIDED IN LICENCED PREMISES
3. 8 NOS FIRE-BUCKET FILLED WITH SAND ARE PROVIDED IN LICENCED PREMISES.
4. FILL POINTS 4.0M CLEAR ALL AROUND.
5. VENT PIPE SHALL BE 4.0M HIGH & 4.0M CLEAR ALL AROUND.
6. VENT HOOD FITTED WITH TO LAYERS OF NON-CORRODIBLE METAL WIRE GAUGE OF 11 MESH PER LINEAR CM.
7. APPROACH SHOULD HAVE MIN. PAVEMENT COMPOSITION OF 150MM GSB WBM GR OF TS-5MM BM EACH 150MM BM AND 250MM GR.
8. NO CASE AGAINST THE LAND IS PENDING IN ANY COURT.
9. THE TANK ARE FABRICATED AS PER IS: 10387 OF 1992 (REF: ASSM IN 1998).
10. NO HIGH TENSION LINE IS PASSING THROUGH THE PREMISES.
11. TANKS KERB WALL 0.25M THICK & 0.30M. HIGH FROM FLOOR LEVEL PROVIDED TO THE EARTH BURIED.
12. FLAMMABLE FLEX BOARD HOARDING SHOULD NOT BE USED.

■ **ENVIRONMENTAL POLICY**

GROUND FLOOR (5.00X 7.77m)	
TYPE	SIZE IN mm
DEALER ROOM	3600X2310
SAMPLE ROOM	1200X2310
ELEC.ROOM	2500X2310
LUBE ROOM	2500X2040
CHANGING ROOM	1200X2040
LADIES AND LADIES PHE TOILET	1600X2040
GENTS AND GENTS PHE TOILET	1900X2040

[illegible][illegible][illegible]